

**स मा ह र णा ल य, कि श न गं ज,**

14/डी०एल०ए० दरभंगा (स०उ०प०स०) 171/2013

**बिहार सरकार,  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,  
भू-अर्जन प्रशाखा,  
(अधिसूचना)**

पत्रांक-3060/आर०, पटना, दिनांक-30-12-13

चूंकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि किशनगंज जिला के किशनगंज अंचल अन्तर्गत मौजा - फरिंगगोड़ा, थाना नं० - 40 में सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा प्रधान न्यायाधीश (परिवार न्यायालय) एवं अन्य न्यायिक पदाधिकारियों के आवासीय परिसर के लिए सरकार के खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इस लिए अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ मौजा - फरिंगगोड़ा, थाना नं० -40 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कमोबेश रकवा 7.00 एकड़ के बराबर होता है, जिसका प्लॉट संख्या निम्नांकित है :-

ख़ाता संख्या	खेसरा संख्या	रकवा			ख़ाता संख्या	खेसरा संख्या	रकवा			ख़ाता संख्या	खेसरा संख्या	रकवा			
		हे.	ए.	पो.			हे.	ए.	पो.			हे.	ए.	पो.	
255	1093	0	07	20	59	1092	0	09	05	269	1425 अंश	0	08	20	
	1094	0	00	25		1080 अंश	0	04	70		1422	0	14	45	
129	1091	0	05	40	140	1088	0	02	45	75	1414	0	07	30	
28	1118 अंश	0	05	25		1089	0	03	95		1410 अंश	0	06	30	
	1090	0	04	25	1126 अंश	0	17	10	1424	0	03	35			
	1084	0	02	90	1078 अंश	0	03	15	1423	0	07	50			
	1082 अंश	0	02	00	1128 अंश	0	06	30	1418	0	09	00			
	1086	0	02	75	1081 अंश	0	00	10	1417 अंश	0	04	50			
	1087	0	02	95	1592	0	02	50	1139 अंश	0	00	50			
	1122	0	04	20	1085	0	04	95	1140 अंश	0	00	30			
	1079	0	04	80	1121	0	03	95	216	1129 अंश	0	00	25		
	1125	0	03	50	222	1119 अंश	0	03	75	207	1412	0	01	45	
	1124	0	07	45	01	1123	0	11	25	1407 अंश	0	03	50		
1127	0	02	55	196	1416	0	02	60	26	1150	0	00	20		
1411	0	14	05		1419	0	12	60	कुल योग :-			2	83	55	
198	1600	0	12	00	157	1421 अंश	0	09	65	एकड़ में :-			7.00 Acre		
	1077 अंश	0	09	35	45	1415	0	08	50						
27	1083	0	02	95	77	1413	0	06	80						
125	1120	0	05	80		1420	0	03	80						

चौहद्दी :- उत्तर :- पक्की सड़क,  
दक्षिण :- खेसरा सं.-1407 अंश, 1408,1409,1398 अंश  
पूरब :- खेसरा संख्या-1082 अंश, 1080 अंश, 1081 अंश, 1078 अंश, 1077 अंश, 1025 अंश, 1417 अंश, 1432 अंश, 1415 अंश, 1410 अंश।  
पश्चिम :- खेसरा सं.-1094 अंश, 1117 अंश, 1118 अंश, 1119 अंश, 1129 अंश, 1126 अंश, 1128 अंश, 1421 अंश, 1139 अंश, 1140 अंश, 1150 अंश।

यह अधिसूचना बिहार भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (समय-समय पर संशोधित) की धारा 4 के उपबंधों के अधीन उन सभी रैयतों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे सम्बन्ध हो। भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, किशनगंज के कार्यालय में कार्यालय दिवस को देखा जा सकता है।

बिहार सरकार भू-अर्जन पदाधिकारी, किशनगंज और उनके कर्मचारियों तथा इस परियोजना से संबंधित आरंभिक तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप धारा 2 में यथा उपबंधित विनिर्दिष्ट अपने कार्यों के समुचित निष्पादन के लिए तथा अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

उक्त अधिनियम की धारा 17 (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि परियोजना की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध लागू नहीं होंगे।

*(Handwritten Signature)*  
समाहर्ता,  
किशनगंज।

बिहार राज्यपाल के आदेश से  
सरकार के सचिव,

जापांक-3060/रा०/भू-अर्जन,पटना, दिनांक-30-12-13

- प्रतिलिपि :: निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की तीन प्रतियाँ सहित (दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो ) प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, किशनगंज को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :: उप समाहर्ता प्रभारी, जिला गजट, किशनगंज को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित जिला गजट की दस-दस (10-10) प्रतियाँ इस विभाग एवं जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, किशनगंज को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :: समाहर्ता, किशनगंज / जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :: आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ को सूचनार्थ प्रेषित।

*(Handwritten Signature)*  
सरकार के सचिव,  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,  
बिहार, पटना।